IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ब्रिटिश शासन में भारतीय प्रेस का विकास: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में

1.प्रीति

(विद्यार्थी, एम. ए. इतिहास विभाग), चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी

2. डॉ. अमित

सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी

3.डॉ. रवि प्रकाश

सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी

Abstract: प्रस्तुत शोध पत्र ब्रिटिश भारत में प्रेस की नीतियों (1799-1951) का वर्णन करता है। इस शोध पत्र को लिखने का मूल उद्देश्य यह है कि किस प्रकार ब्रिटिश काल में भारतीय प्रेस के विकास में ब्रिटिश सरकार ने अवरोध उत्पन्न किए। अंग्रेजी सरकार को यह डर था कि कहीं प्रेस से भारतीय लोग जागरुक न हो जाए और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना न पनप उठे। इसी डर से उन्होने भारतीय समाचार पत्र व पत्रिकाओं पर समय-समय पर प्रतिबंध लगाए ताकि प्रेस का विकास न हो सके। सभी प्रतिबंधों के बावजूद भी समाचार पत्रों व पत्रिकाओं ने राष्ट्रीयता की भावना जगाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेस का सबसे ज्यादा योगदान हमें राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिलता है। प्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अग्रेंजों ने इसे दबाने के लिए सेंसरशिप और अन्य उपायों का इस्तेमाल किया। प्रेस ने भारत की राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस को नियत्रिंत करने के लिए कई कानून और विनिमय बनाए, जैसे की 1823 का लाइसेंसिंग एक्ट

आदि। ब्रिटिश सरकार ने उन पत्रकारों दंडित किया जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे, उन्हें जेल में डाल दिया या उन पर जुर्माना लगाया, और पत्रकारों को देश से निकाल दिया गया। इन प्रतिबंधों ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को काफी हद तक सीमित कर दिया।

Keywords: प्रेस, सेंसरशिप, वर्नाक्यूलर अधिनियम, राष्ट्रवाद, मुद्रण, राष्ट्रीय आंदोलन, पत्रकारिता, औपनिवेशिक शासन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं।

भूमिका: प्राचीन समय में धार्मिक उपदेश और प्रशासनिक घोषणाएं शिलालेखों और तांबे की पट्टियो पर खुदवाकर सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाते थे। सूचनाओं व ऐतिहासिक घटनाओं को भोजपत्र व ताड़पत्र पर लिखा जाता था जैसा कि, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख इस अभिलेख में तुषास्फ नामक एक यवन का संदर्भ आता है, जिसने अशोक के काल में सुदर्शन नामक एक जलाशय का निर्माण करवाया था। भारत में पत्थर पर घोषणाएं लिखवाना एक अभिनव प्रयोग था, जो राजा के शब्दों को चिरस्थायित्व प्रदान करता था। अभिलेखों में दर्ज विचारों को मौखिक वाचन के द्वारा राजा स्वंय भी धम्म का संदेश देता था। यह बात इस वक्तव्य से (वृहत शिलालेख) से भी साबित होती है कि अशोक ने भ्रमण करते हुए 256 रातें व दिन बितायें थे। 'अशोक अपने 'धम्म' का संदेश, जो कि एक आचार संहिता थी, शिलालेखों और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाता था। इसके अतिरिक्त, उसने धम्म के प्रचार के लिए 'धम्म महामात्र ' नामक अधिकारियों को भी धम्म के लिए नियुक्त किया जो धम्म के बारे में बताते व समझाते थे।

मध्यकाल तक कुछ तरीक़ों में बदलाव हुआ लेकिन मुख्यतः प्राचीन काल के साथ समानता ही कहा जा सकता है। आधुनिक समय तक आते आते ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा पुर्तगालियों के माध्यम से भारत के गोवा शहर में 1550 ईसवी में प्रेस की स्थापना की। समाचार पत्रों का प्रारंभिक रुप नीदरलैंड के 'न्यूजोइनिंग' 1526 में मिलता है। चर्च ने अपने विश्वासों अध्यादेशों के प्रचार के लिए प्रिंटिग प्रेस का इस्तेमाल किया। मध्यकालिन समय में प्रेस, जिसे वुडब्लॉक प्रिंटिग कहा जाता था। पुस्तकों व अन्य दस्तोवेजों को हाथ से लिखा जाता था, यह एक धीमी औऱ मंहगी प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया से एक ही समय मे कई प्रतियां छापना संभव हो गया था, गुटेनबर्ग के प्रेस के आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी, जिससे साक्षरता और शिक्षा का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक क्रांति पर प्रिंटिग प्रेस की छाप का सबूत निकोलस कोपरनिकस (1473-1543) द्वारा दिखाया गया है, जब उन्होनें अपने काम को प्रचारित करने के लिए प्रिंटिग प्रेस का लाभ उठाया ऑफआर कहा कि पृथ्वी के बजाय सूर्य ब्रह्मांड का केन्द्रं है।

आधुनिक भारतीय प्रेस का आंरभ 1966 में विलियम बोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से शुरु हुआ। रामलखन सुक्कल ने अपनी पुस्तक में बताया है की 1970 में हिक्की ने बंगाल गजट समाचार- पत्र प्रकाशित किया, हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, हिक्की की प्रेस को जब्त भी कर लिया गया था।

शुरु में समाचार पत्रों का क्षेत्र सीमित होता था और समाचार पत्रों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नही था। राष्ट्रवाद व प्रेस के विकास के कारण आगे चलकर अंग्रेजों ने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने शुरु कर दिए। अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि उनकी शोषणकारी नीतियों को समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर किया जाए। इसलिए उन्होंने 1799 में प्रथम प्रेस एक्ट से 1951 तक प्रेस अधिनियम पारित किए।

Review of Literature:

- आधुनिक भारत का इतिहास, बिपन चंद्र, ओरिंटल ब्लैकस्वान, हैदराबाद, तेलेंगाना, 2008। इस पुस्तक में विपिन चंद्र ने 18वीं सदी में भारत में हुए छापेखाने की शुरुआत के बारे में लिखा है। समाचार पत्रों को आरंभ करने व उन्हें सशक्त राजनीतिक साधन बनाने में अनेक भारतीयों की भूमिका रही है। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाये जिससे कि वे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर नियंत्रण रख सकें। इसका प्रमुख उदाहरण प्रेस एक्ट 1835 है। लेखक यह दिखाता है कि कैसे प्रेस ने सामाजिक औऱ राजनैतिक चेतना को जागतृ किया और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रेरित किया। इस शोध में 1878 के में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बारे में तर्क किया है। इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आजादी पर कड़ी बंदिशें लगाई।
- रहीम सिंह, आधुनिक भारत: स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवम स्वतंत्र भारत का निर्माण (1858-1964), पियरशन इंडिया एजुकेशन सर्विसेज, नोयडा, भारत, 2010। इस पुस्तक में रहीस सिंह ने ब्रिटिश राज के दौरान प्रेस की भूमिका पर चर्चा की है, उन्होंने बताया है कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए अनेक कानून बनाए जैसे प्रेस एक्ट, वर्णाक्यूलर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि 1878 आर्म्स एक्ट के अनुसार सरकार ने भारतवासियों से अपने घर में साधारण हथियार रखने का अधिकार छिन लिया। यह पुस्तक प्रेस के माध्यम से सामाजिक औऱ राजनीतिक परिवर्तनों को समझने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है।
- आधुनिक भारतीय इतिहास, सूर्यभान साहू, वंदना पब्लिकेशन, 2017। इस पुस्तक में सूर्यभान साहू ने बताया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। लिटन की दिल्ली दरबार की योजना का भारत एवं इग्लैंड के समाचार-पत्रों में काफी आलोचना की गई। अकाल के प्रति उदासीनता एवं आर्म्स एक्ट पर भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में काफी चर्चा हुई, जिसे लिटन ने राज विद्रोह की प्रतीक समझा। वह समझता था कि समाचार पत्रों के संपादक राजाओं और अन्य प्रतिष्ठित भारतीयों को डरा धमका कर घूस ले लेते थे। लिटन के विचार में बिल का उद्देश्य राजद्रोही लेखों को रोकना था न कि उन्हें दंड देना।
- बी. एल. ग्रोवर, यशपाल, अलका मेहता, आधुनिक भारत के इतिहास पर एक नज़र। एस. चंद, नई दिल्ली, 2005। इस पुस्तक में बी. एल. ग्रोवर व अलका मेहता ने बताया है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का 1970 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम "दा बंगाल बज़ट" अथवा "The Calcutta General advertiser" था। लेखक ने इसकी समीक्षा में विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों का वर्णन किया है- जैसे कलकत्ता गजट, बंगाल गजट, The Oriental Magazine of Calcutta, Calcutta Chronicle, Madras courier etc. इस दौरान कई पत्रिकाएं और अखबार प्रकाशित हुए जो

सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में सहायक रहे। इस समय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक अधिनियम पारित किए गए।

- रामलखन शुक्ल , आधुनिक भारत का इतिहास, नई दिल्ली, 1987। इस पुस्तक में रामलखन शुक्ल ने बताया है कि आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 में विलियम बोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल गजट समाचार-पत्र प्रकाशित किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया, परंतु इससे हिक्की के स्वभाव तथा दृष्टिकोण के पत्रकारों की संख्या घटने की अपेक्षा बढ़ती ही गई। 18वीं शताब्दी के अंत तक अनेक समाचार-पत्र प्रकाशित होने लगे। इन समाचार पत्रों का क्षेत्र सीमित होता था, इनका क्षेत्र कंपनी के अधिकारियों, व्यापारियों तथा मिशनरियों तक ही सीमित था।

वेल्सली प्रेस एक्ट 1799: वेल्सली का प्रेस एक्ट 1799 भारत में पहला नियत्रंण कानून था। ए. आर देसाई ने अपनी पुस्तक में बताया है कि- "लॉर्ड वेल्सली ने सभी समाचार पत्रों पर पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया गया और समाचार पत्रों पर युद्धकालिन सेंसर लागू कर दिया।" इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक औऱ स्वामी का नाम स्पष्ट रुप से छापना पड़ता था। बिना सरकारी अनुमति के किसी भी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रतिबंधित किया गया था। इन नियमों को भंग करने पर दंड मिलता था। सरकार को ऐसी किसी भी सामग्री के प्रकाशन को रोकने का अधिकार था जो ब्रिटिश प्रशासन के लिए हानिकारक हो सकती थी। 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओ व पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया था।

1818 का एक्ट: बी.एल. ग्रोवर ने अपनी पुस्तक में बताया है कि लार्ड हेस्टिगंज ने इस नियम को कठोरता से लागू नही किया औऱ 1818 में प्रेस सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। 1822 में बॉम्बे समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरु हुआ। इस नियम के अनुसार संपादक को निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार प्रकट करने नही होते थे-

- कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स के कार्य।
- इंग्लैंड अधिकारिओं के वह कार्य जो भारत सरकार से संबंधित है।
- गवर्नर जनरल के कार्य।
- न्याय व न्याधीश के कार्य।

गवर्नर जनरल ने अपनी परिषद तथा विशेषकर जॉन एडम्ज की इच्छा के विरुद्ध जेम्स बकिंघम जो 'दा कलकता जर्नल' का सम्पादक था, की अनुज्ञप्ति को रद्द करने से अथवा उसे उदासीन करने से मनाही कर दी। इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी समाचार पत्र को चेतावनी देने, जुर्माना लगाने या उसे बंद करने का अधिकार था, यदि वह विद्रोह या नस्लीय या धार्मिक घृणा भड़काने वाली सामग्री प्रकाशित करता है। इस अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रुप से सीमित कर दिया औऱ भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न किया।

1823 का लाइसेंसिग रेगुलेशन एक्ट: 1823 में जॉन एडम्ज भारत के कार्यवाहक गर्वनर जनरल बने। एडम्ज के द्वारा ही लाइसेंसिग एक्ट लागू किया गया था। 1823 में जॉन एडम्ज के कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनने पर उसे अपनी प्रतिक्रियावादी विचारों को वास्तविक रुप देने का अवसर मिला औऱ ये नियम उन सभी नियमों से अधिक कठोर थे जो उस समय तक कभी भी भारत में लागू हुए थे। एडम्ज के अनुसार "लाइसेंस के बिना किसी भी भारतीय समाचार पत्र का प्रकाशन अवैध घोषित कर दिया।" इस एक्ट के अनुसार सिर्फ भारतीय समाचार पत्रों पर नियम लागू किए गए थे। इस एक्ट में प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना होता था। लाइसेंस के बिना साहित्य को मुद्रण अथवा प्रकाशित करने पर 400 रुपए जुर्माना अथवा कारावास का दण्ड होगा व दण्डनायकों को अनुमती होती थी कि बिना लाइसेंस के प्राप्त मुद्रणालय को जब्त कर ले। इस एक्ट में गर्वनर जनरल को अधिकार था कि वह किसी भी लाइसेंस को रद्द कर दे व नया प्रार्थना पत्र मांग ले। एडम्ज के इस आदेश के समर्थन में दिए गए तर्को से यह स्पष्ट होती है कि यह आज्ञा विशेष रुप से उन समाचार पत्रों के विरुद्द थी जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित व भारतीयों के द्वारा प्रकाशित किए जाते थे।

1835 का मेटकाफ एक्ट: तारा चन्द ने अपनी पुस्तक में बताया है कि, "1835 में मेटकाफ एक्ट लागू किया गया था इस एक्ट के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को स्वतंत्र कर दिया गया इन्हें स्वतंत्र करने का श्रेय चार्ल्स मेटकाफ़ को जाता है।" 1823 के इस अधिनियम को रद्द करके वह भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहलाए जाते थे। तारा चन्द ने अपनी पुस्तक में बताया है कि लॉर्ड मैकाले का तर्क था कि सरकार के पास देश में खतरे के समय अनन्त शक्ति है तो फिर शान्ति काल में ऐसे नियमों को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नही है।

अब तक ऐसा अधिनियम बनाया गया कि मुद्रक तथा प्रकाशक को अब केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही देनी थी औऱ वह सुगमता से कार्य कर सकता था। इस एक्ट ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया जिससे समाचार पत्रों और अन्य प्रकाशकों को पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्रता मिली। इस अधिनियम ने प्रेस को सरकार की नीतियों की आलोचना करने औऱ सार्वजनिक बहस में भाग लेने की अनुमति दी। यह एक्ट भारतीय प्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने प्रेस को अधिक स्वतंत्रता दी औऱ इसे एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मंच बनाया।

1857 का एक्ट: 1857 में अनुज्ञप्ति अधिनियम लागू किया गया था। बी.एल. ग्रोवर ने अपनी पुस्तक में बताया गया है कि, "यह एक्ट 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था।" इस एक्ट के अनुसार बिना आज्ञा के मुद्रणालय रखने व प्रयोग करने पर भी रोक लगा दी गई थी। सरकार किसी भी समय किसी पुस्तक के प्रकाशन को रोक व रद्द कर सकती थी। सरकार को बिना किसी पूर्व सूचना या अपील अधिकार के राजद्रोही समझी जाने वाली किसी भी प्रेस प्रकाशन सामग्री को जब्त करने का अधिकार था।

1867 का पंजीकरण एक्ट: बी. एल. ग्रोवर ने अपनी पुस्तक में बताया है कि, "इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाचार पत्रों अथवा मुद्रणालयों पर रोक लगाना नही अपितु केवल नियंत्रित करना था।" प्रत्येक मुद्रित पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक प्रकाशक औऱ मुद्रण

स्थान का नाम होना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त प्रकाशन के एक मास के भीतर पुस्तक की एक प्रति बिना मूल्य के स्थानीय सरकार को देनी होती थी। यह अधिनियम 1890, 1914, 1952 और पुनः 1953 में संशोधित किया गया। प्रकाशकों और मुद्रकों को अपने प्रकाशनों को स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास पंजीकृत कराना होता था। प्रकाशनों में मुद्रक, प्रकाशक औऱ प्रकाशन स्थल का नाम होना चाहिए था। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान था।

वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878: 1857 के महान विद्रोह की एक देन, शासित औऱ शासक जातियों के संबंधों में कटुता थी। फलस्वरुप अंग्रेजी समाचार पत्र सरकार का सदैव समर्थन करते थे। देशी समाचार पत्र 1857 के पश्चात अभूतपूर्व मात्रा में बढ़े औऱ वे अधिक मुखर थे तथा सरकार की आलोचना करते थे। फलस्वरुप लार्ड लिटन की साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध दृढ़ सार्वजनिक भावना उत्पन्न हो गई। 1876-1878 के अकाल से लगभग 60 लाख लोग मृत्यु की गोद में सो गए औऱ दूसरी औऱ जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार पर बहुत अधिक धन व्यय किया गया। इन सभी समाचारों से जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर लिटन यह अनुभव करता था कि इस अशान्ति का कारण मैकाले और मेटकाफ की नीतियां थी औऱ उसने इन सभी की भावनाओं को दबाने का प्रयत्न किया। 1878 के देशी भाषा समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया औऱ इसे राजद्रोही लेखों को दबाने औऱ दण्डित करने का अधिकार सफल अस्त्र बनाया। इस अधिनियम से जिला दण्डनायकों को स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को आज्ञा देने का अधिकार दे दिया वे बन्धन पत्र पर हस्ताक्षर करे कि वे कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित नही करेंगे जिससे सरकार विरोधी भावना भड़के। शेखर बंधोपाध्याय ने अपनी पुस्तक में बताया है कि- "इस एक्ट का मूल उद्देश्य भारतीय प्रेस का गला घोंटना था जो उपनिवेशी नीतियों की आलोचना करने लगी थी। इस कानून के अंतर्गत देशी भाषाओं के समाचार पत्रों के मुद्रकों और प्रकाशकों से उनकी जमीन जब्त कर ली जाती थी।" इस कानून ने भारतीय भाषाओ के समाचार पत्रों की आजादी पर कड़ी बंदिशे लगाई। भारतीय राष्ट्रीय जनमत तब तक जागरुक हो चुका था औऱ उसने इस कानून के बनाए जाने पर विरोध किया। इस विरोध का तत्कालीन प्रभाव पड़ा और इस कानून को 1882 में रद्द कर दिया गया। इसके बाद लगभग 25 वर्षों तक भारतीय प्रैस को पर्याप्त स्वंतत्रता प्राप्त रही।

1908 का समाचार पत्र एक्ट: लॉर्ड कर्जन की नीतियों द्वारा उत्पन्न अंशाति से राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी दल का उत्थान हुआ औऱ हिंसक घटनाएं हुई। समकालीन समाचार पत्रों ने भी सरकार की कड़ी आलोचना की। इनकों दबाने के लिए सरकार ने यह एक्ट 1908 में पारित किया जो समाचार पत्र आपतिजनक सामग्री जिससे लोगों को हिंसा की प्रेरणा मिले उसे प्रकाशित करेगा उसकी संपति अथवा मुद्रणालय को जब्त किया जा सकता है। समाचार पत्रों के मुद्रक अथवा प्रकाशकों को मुद्रणालय के जब्त होने के 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमती थी। इस अधिनियम के अधीन सरकार ने 9 समाचार पत्रों पर मुकदमें चलाए और 7 मुद्रणालय जब्त कर लिए। यह अधिनियम प्रेस पर एक प्रकार की सेंसरशिप लगाता था, स्थानीय सरकार को प्रकाशनों को नियत्रिंत करने की अधिक शक्ति मिलती थी।

भारतीय प्रेस अधिनियम 1910: यह अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का संशोधित रुप था। यह अधिनियम उभरते भारतीय स्वंतत्रता संग्राम को रोकने के लिए लागू किया गया था। सरकार विरोधी माने जाने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा सकती थी। कानून का उल्लंघन करने पर समाचार पत्र को जाली पंजीकृत किया जा सकता था। स्थानीय सरकार को किसी भी समाचार पत्र या प्रकाशन के प्रकाशक से पंजीकरण के समय सुरक्षा जमा राशि मांगने का अधिकार दिया गया था।

भारतीय रक्षा अधिनियम 1914: 1914 भारतीय रक्षा अधिनियम जारी किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार सरकार ने प्रैस पर अंकुश लगा दिए थे। इसके बाद 1921 में पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर 1910 के अधिनियम को 1922 में निरस्त कर दिया गया था।

भारतीय समाचार पत्र एक्ट 1931: तारा चंद ने अपनी पुस्तक में बताया है कि- "सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरम्भ करने के कारण सरकार ने 1930 में समाचार पत्रों पर अधिक अच्छा नियंत्रण करने की भावना से एक नया समाचार पत्र अध्यादेश जारी कर दिया।" इसके अनुसार 1910 के अधिनियम के सभी आदेशों को पुनः लागू कर दिया गया जिसने प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां दी गई थी।

समाचार पत्र (आपत्तिजनक विषय) एक्ट 1951: यह अधिनियम उन सभी समाचार पत्र संबंधी अधिनियमों से अधिक व्यापक था जो आज तक पारित हुए थे। इससे केंद्रीय तथा राजकीय समाचार पत्र संबंधी अधिनियम जो उस समय लागू थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। नए कानून से सरकार को समाचार पत्रों तथा मुद्रणालयों से आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जमानत मांगने तथा जब्त करने का अधिकार था। सरकार कुछ प्रकाशनों को जब्त भी कर सकती थी, आपत्तिजनक सामग्री को डाक द्वारा भेजने से रोक कर उसे नष्ट करने का अधिकार भी रखती थी।शैलेन्द्र नाथ सेन ने अपनी पुस्तक में बताया है कि- "समाचार पत्रों के पीड़ित प्रकाशक तथा मुद्रणालय के स्वामियों को जूरी द्वारा न्याय मांगने का अधिकार दे दिया और यह अधिनियम 1956 तक चलता रहा।"

निष्कर्ष: भारतीय प्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण व समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंधों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय प्रेस का इतिहास कठिनाईयों से भरा हुआ था। सभी गवर्नर जनरलों ने प्रेस के प्रति अपने अलग - अलग दृष्टिकोण अपनाए थे जैसे लार्ड वेलेजली, एडम, लार्ड लिटन आदि। चार्ल्स मेटकाफ स्वतंत्र प्रेस के समर्थन माने जाते हैं। इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी प्रेस ने भारतवासीयों को जागरूक करने का काम किया। स्वतंत्रता आंदोलनों में भी प्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संदर्भ सूची

1.शर्मा, रामशरण, भारत का प्राचीन इतिहास, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005।

2.सिंह, नम्रता, भारत में नगरीकरण, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, न्यू दिल्ली, 2009।

3. जोहान्स गुटेनबर्ग का प्रिंटिग प्रेस, हफीजत गफ्फार, अमेरिकन प्रिंटिग हिस्ट्री एसोसिएशन ।

4.शुक्ल, राम लखन, आधुनिक भारत का इतिहास, दिल्ली विश्वविधालय, 1987।

5.देसाई, आर. ए., भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, मैकमिलन भारत लिमिटेड, बम्बई, 1946।

6. ग्रोवर, बी.एल., आधुनिक भारत का इतिहास, एस. चन्द एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, 2011।

7. ताराचंद, भारतीय स्वंतत्रता आंदोलन का इतिहास, विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, वॉल्यूम- 2।

8. बंधोपाध्याय, शेखर, प्लासी से विभाजन तक और उसको बाद, ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, 2006।

9. सेन, नाथ शैलेन्द्र, एन एडंवास्ड हिस्ट्री ऑफ मॉडन इंडिया, ऐन इम्प्रिंट ऑफ़ रत्न सागर प्राइवेट लिमिटेड, 2017।